


## सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत योगेंद्र कुमार साव पिता गणेश साव और मुकेश कुमार पिता नागेश्वर प्रसाद निवासी ग्राम: आरा , थाना: बालूमाथ, जिला: लातेहार (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: चमातु, थाना सं: 56, (रैयाती) खाता सं. 135 के अधीन प्लॉट सं. 635, 715, 886, 901, 1047, 1072, 1060, 1091, 2119, 2121, 2456/2554, 2311, 2455 & 2457 कुल रकबा - 4.00 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसैस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाईट [http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti\\_empl\\_Ind.php](http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_Ind.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: आरा , थाना: बालूमाथ, जिला: लातेहार (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: चमातु, थाना सं: 56 , (रैयाती) खाता सं. 135 के अधीन प्लॉट सं. 635, 715, 886, 901, 1047, 1072, 1060, 1091, 2119, 2121, 2456/2554, 2311, 2455 & 2457 कुल रकबा - 4.00 एकड़ के तहत बबीता कुमारी पति रवि कुमार निवासी ग्राम: सराधु, थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

  
31/11/18